न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 2/2016 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. रामचन्द्र पिता स्वर्गीय श्री गौतम यादव, जाति चमार, निवासी ग्राम घोडी तेजपुर, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती भुलकी बेवा स्वर्गीय श्री गौतम यादव, जाति चमार, निवासी ग्राम घोडी तेजपुर, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. धुलजी पिता स्वर्गीय पूंजा जी चमार, निवासी ग्राम घोडी तेजपुर, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. नारायण पिता स्वर्गीय पूंजा जी चमार, निवासी ग्राम घोडी तेजपुर, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती गोती बेवा स्वर्गीय पूंजा जी चमार, निवासी ग्राम घोडी तेजपुर, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्रीमती तुलसी पुत्री स्वर्गीय गौतम यादव पत्नी लसु, जाति चमार, निवासी हाल गांव छोटी सरवान, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. श्रीमती धुली पुत्री स्वर्गीय रूपा चमार पत्नी स्वर्गीय हरदु, जाति चमार, निवासी ग्राम जहांपुरा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. श्रीमती मीरा पुत्री स्वर्गीय रूपा चमार पत्नी स्वर्गीय मोगजी, जाति चमार, निवासी ग्राम भुंगड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. श्रीमती कमला पुत्री स्वर्गीय रूपा चमार पत्नी श्री छगन, जाति चमार, निवासी ग्राम खजुरी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. श्रीमती सन्ता पुत्री स्व॰ रूपा चमार पत्नी श्री शम्भु, जाति चमार, निवासी ग्राम सकतोल (सुहागपुरा) तहसील अरनोद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
9. श्रीमती अलकु पुत्री स्वर्गीय रूपा चमार पत्नी श्री नारायण, जाति चमार, निवासी ग्राम घोडी, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
10. भूमिधारी तहसीलदार, छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223– राजस्थान

काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय एवं

डिक्री उपखण्ड अधिकारी छोटी सरवन

दिनांक 03.09.2015 प्र0सं0 16/2014

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री तसलीम अहमद अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10

———::———

निर्णय **दिनांक 19–02–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मूलपुरूष वखता जी थी, जिसके पिता गलिया जी व उनका पुत्र रूपा हुए। रूपा के वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 से 8 हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता गौतम पिता धनिया का वादीगण अथवा उनके पूर्वजों से किसी प्रकार से कोई प्राकृतिक व पारिवारिक रिश्ता एवं संबंध नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की वंशावली वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। वादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं खातेदारी की कृषि भूमियां ग्राम तेजपुर में स्थित होकर वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार हैं। उक्त भूमियां वादीगण के पूर्वज वखता जी के नमा राजस्व रेकार्ड में सन् 1915–16 में दर्ज थी तथा उन्हीं का कब्जा था। वखता के इकलौते पुत्र यानि वादीगण के दादा रूपा अपने पिता वखता के साथ काश्त में सहयोग करने लगे। रूपा के इकलौते पुत्र पूंजा वादीगण के पिता हुए, जिनकी मृत्यु दिनांक 11–07–2006 को हो चुकी है। रूपा के पांच पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 2 से 6 हुई जो विवाहित होकर अपनी ससुराल में रहती हैं। रूपा पिता वखता के देहान्त के बाद उक्त कृषि भूमियां रूपा की पत्नी यादि वादीगण की दादी भूलकी के नाम नामान्तरकरण संख्या 78 से दर्ज हुई, किन्तु भूलकी की मृत्यु के बाद वादीगण के नाम दर्ज नहीं करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता गौतम पिता धनिया ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने आपको भूलकी का भतीजा बताकर नामान्तरकरण संख्या 233 अपने नाम स्वीकृत करवा लिया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादीगण के परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि त्रुटि पूर्ण की गयी है, कब्जा वादीगण का ही चला आ रहा है। अतएवं निवेदन किया कि वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 233 को अपास्त किया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7 व 8 की ओर से सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत हुआ।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22–12–2014 को प्रकरण में कुल 6 तनकियात कायम की तथा दिनांक 22–12–2014 से लेकर दिनांक 06–07–2015 तक प्रकरण साक्ष्य वादी में विचाराधीन रहा। साक्ष्य वादी इस दौरान उपस्थित नहीं हुए। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30–07–2017 को आदेशिका में अंकित किया कि वादीगण द्वारा ग्राम पंचायत से जारी वंशावली पेश की गयी। पत्रावली के संलग्न बाद एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया पत्रावली वास्ते मेरिट पर निर्णय दिनांक 03–09–2015 को पेश हो तथा दिनांक 03–09–2015 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद डिक्री कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 04–02–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त निर्णय का ज्ञान अपीलान्ट को माह दिसम्बर में होने से नकल प्राप्त कर उक्त अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन का जवाब देते हुए वकील रेस्पोन्डेन्ट ने कथन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी ने जानकारी का कोई आधार वर्णित नहीं किया है। अतएवं मयाद कण्डोन योग्य नहीं है।

→ अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में व मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 व 5 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री जयेन्द्र पुरोहित ने अपनी उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की न तो शहादत ली न ही सुनवाई का अवसर दिया एवं न ही तनकीवार निर्णय पारित किया। अधिनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वारा में अपीलान्ट द्वारा जाहिर की गयी आपत्ति पर भी कोई गौर नहीं किया है। अपलान्ट का मौके पर कब्जा है, पांच पक्के मकान बने हुए हैं व कुंआ होकर 30 वर्ष पूर्व नामान्तरकरण खोला गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय पारित किया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयात कायत की गयी है, परन्तु प्रकरण में न तो वादी की साक्ष्य ली न ही प्रतिवादी की। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पंचायत से सजरा तलब कर प्रकरण में बिना साक्ष्य लिये अत्यन्त सरसरी निर्णय पारित कर दिया है, जबकि प्रकरण में विरोधाभाषी प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम शुदा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायत करने के बाद उन पर उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर निर्णय पारित करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय, स्थापित विधिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होकर अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–09–2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर तनकीवार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 20–04–2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

चुनिया पिता दिपा, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **दिता पिता हड़िया, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**59 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **छोटी सरवन** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**22**.....माह.....**07**.....**2003**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**....माह.....**10**.....सन् **2016** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री दिलीप त्रिवेदी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री नन्दलाल पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–07–2003 यथावत रखी जाती है। .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**22**.....माह.....**10**.....**2016** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।